FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0185 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/07/2025 18:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:35 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/07/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/07/2025 18:49:24 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** JILA NYAYALAYA BIKNER
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAVATRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AADURAM MEGHWAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM RODA, NOKHA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM RODA, NOKHA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGDISH KUMAR		पिता:JIYARAM	1. KHEENCHIYA,JAMSAR,BIKANE
2	KUNDAN VYAS		पिता:PURSHOTTAM VYAS	1. JASSUSAR GAET KE BAHAR,NAYASAHAR,BIKANER, RAJASTHAN,INDIA
3	ZAKEER HUSAIN SAMEJA		पिता:FAIZ MOHAMMAD SAMEJA	1. GALI NO.11,DHOBI TALAI,BIKANER,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर विषय रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाकर उचित कार्यवाही करवाने के संबंध में। महोदय जी मै रावतराम मेघवाल आपसे निवेदन करता हूँ कि मैने न्याय पाने के लिये पुलिस थाना नोखा में दिनांक 01.09.2022 को मु.नं. 604 धारा 323,341,504,343 आईपीसी व 3 SC/ST एक्ट में दर्ज करवाया जिसका मुकदमा SC/ST कोर्ट बीकानेर में चलता है। लेकिन मेरे तथा गवाहो के बयान दर्ज करवाने के लिये कोर्ट के सरकारी पी.पी. कुन्दनमल व कोर्ट में जज के पेशकार जाकीर जी दोनो हजार-हजार रूपये रिश्वत मांगते है। दिनांक 06.01.2025 को हमे पुरे दिन कोर्ट में बैठाये रखा रिश्वत नही देने के कारण जज साहब ने पेशकार व पी.पी. के कहे बिना हमारे बयान नही लिये। ऐसा मेरे साथ दो बार हो गया, महोदय जी पिछली बार आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर भी शिकायत दर्ज करवायी लेकिन समय के अभाव व जल्दबाजी में कार्यवाही करवाना ठीक नही समझा, मेरे मुकदमा में आज कोर्ट में तारीख पेशी है। अतः आज 10.30 बजे से पहले-पहले कार्यवाही करने का कष्ट करे। मै रिश्वत नही देना चाहता तथा रिश्वत लेने वाले उपरोक्त दोनो कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ाना चाहता हूँ। आप उचित कार्यवाही करें दिनांक 03.03.2025 एसडी रावतराम प्रार्थी रावतराम पुत्र आदुराम मेघवाल ग्राम रोड़ तह. नोखा जिला बीकानेर मो. [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 03.03.2025 को परिवादी श्री रावतराम पुत्र आदुराम मेघवाल ग्राम रोड़ा तह. नोखा जिला बीकानेर हाजिर चौकी आकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्री आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजिद पूछताछ पर परिवादी श्री रावतराम ने बताया कि नोखा थाने में मेरे द्वारा दर्ज करवाया गया मुकदमा संख्या 604/2022 धारा 323,341,504,343 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट का एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर में चालान किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है एवं गवाहान के बयान हो रहे है। एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर में पी.पी. कुन्दनमल है तथा पैशकार जाकीर जी है। मेरे मुकदमा में हर तारीख पेशी पर पी.पी. व पेशकार मेरे से 1000-2000 रूपये रिश्वत के मांगते रहते है। मेरे द्वारा रिश्वत नहीं देने पर आगामी तारीख देकर गवाहो को बयान करवाये बिना ही भेज देतें है। पी.पी. व पेशकार मेरे से मेरे जायज काम के लिए रिश्वत मांग रहे है। मैं इन दोनो को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी की रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांगने का पाया गया। सरकारी वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर उसे ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर परिवादी व कानि. श्री योगेन्द्रसिंह को भेजकर सत्यापन करवाया गया तो आरोपी कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पी.पी. एवं श्री जाकीर हुसैन पेशकार एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर द्वारा परिवादी से हजार-हजार रूपये रिश्वत की मांग करना एवं सत्यापन के दौरान दोनो द्वारा पांच-पांच सौ रूपये प्राप्त कर शेष पांच-पांच सौ रूपये आगामी तारीख पर लाने की कहने की पुष्टी हुई। वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 03.06.2025 को श्री कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पी.पी. के स्थान पर नये पी.पी. श्री जगदीश कुमार के मनोनीत होने पर पुनः श्री जगदीश कुमार पी.पी. से सत्यापन वार्ता करवाने परिवादी व कानि. श्री योगेन्द्रसिंह को वॉईस रिकॉर्डर देकर भेजा गया। सत्यापन वार्ता कर परिवादी ने वापिस आकर बताया कि श्री जगदीश कुमार पी.पी. से उसकी वार्ता हुई है। जिसमें उसने मेरे प्रकरण में ठोस कार्यवाही करने के लिये एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर पांच सौ रूपये वार्ता के दौरान मेरे से ले लिये तथा पांच सौ रूपये आगामी तारीख पेशी 15.07.2025 को लाने की कही है। वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री जगदीश कुमार पी.पी. द्वारा परिवादी से एक हजार रूपये रिश्वत मांगकर पांच सौ रूपये प्राप्त करना व पांच सौ रूपया आगामी तारीख पेशी पर देने की वार्ता स्पष्ट है। परिवादी के आवश्यक कार्य होने की वजह से आईन्दा फर्द ट्रासस्क्रिप्ट बनाने हेतु वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 14.07.2025 को परिवादी श्री रावतराम हाजिर चौकी आया व बताया कि कल दिनांक 15.07.2025 को उसके प्रकरण में तारीख पेशी है जिसमें गवाह के बयान होने है। परिवादी हाजिर चौकी है। अतः दो स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित वरिष्ठ सहायक व श्री जावेद खान स.प्र.अ. सा.नि.वि. जिला खण्ड बीकानेर से तलब कर परिवादी की उपस्थिती में सत्यापन वार्ताओ का सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से वार्ताओ को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री दिलीप कुमार कानि. से बनवाई गई। वॉईस रिकॉर्डर के मूल मेमोरी कार्ड से वार्ताओ को दो पैन ड्राईव में कॉपी कर मैमोरी कार्ड को कपड़े की थेली में सील्ड कर मार्क A तथा एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली मे सील्ड कर मार्क A-

1 अंकित कर जब्त किया गया। एक मेमोरी कार्ड को खुला रखा गया। परिवादी श्री रावतराम को आरोपीगण को देने के लिये रिश्वती राशी 1500 रूपये हमरा लेकर दिनांक 15.07.2025 को सुबह आने की हिदायत देकर रूकसत दी गई एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता रखने की हिदायत कर दिनांक 15.07.2025 को सुबह हाजिर आने हेतु पाबन्द कर रूकसत दी गई। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवश्यक राजकार्य से बाहर जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी की रिपोर्ट मय समस्त कागजात मन् पुलिस निरीक्षक को सुपर्द किये। दिनांक 15.07.2025 को पाबन्दशुदा परिवादी एवं गवाहो के हाजिर चौकी आने पर परिवादी की रिपोर्ट व रिश्वती मांग सत्यापन की फर्दो का अवलोकन किया परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गयी तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट के तथ्यो को सही होना बताया। इस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी श्री रावतराम ने रिश्वत में दिये जाने वाले 1500 रूपये (100-100 के 15 नोट) भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये। जिनका विवरण इस प्रकार है। क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1. एक सौ रूपये का नोट 1 PD 983958 2. एक सौ रूपये का नोट 2 GS 217443 3. एक सौ रूपये का नोट 8 NA 225353 4. एक सौ रूपये का नोट 5 KP 219753 5. एक सौ रूपये का नोट 3 LM 889458 6. एक सौ रूपये का नोट 1 HR 553158 7. एक सौ रूपये का नोट 4 TH 980339 8. एक सौ रूपये का नोट 4 HW 031817 9. एक सौ रूपये का नोट 9 DE 612520 10. एक सौ रूपये का नोट 9 KE 244290 11. एक सौ रूपये का नोट 6 EN 531515 12. एक सौ रूपये का नोट 6 MM 445270 13. एक सौ रूपये का नोट 7 QK 334742 14. एक सौ रूपये का नोट 2 MF 977019 15. एक सौ रूपये का नोट 0 FD 779801 उपरोक्त सभी नोटो पर श्रीमती बिमला मकानि. से हल्का हल्का फिनॉलफथलीन पाउडर लगवाया गया। फर्द मांग सत्यापन के अनुसार आरोपी कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पूर्व पी.पी., श्री जाकीर हुसैन पेशकार व श्री जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर द्वारा पांच सौ-पांच सौ रूपये रिश्वत की मांग की गई है। जिसके क्रम में परिवादी श्री रावतराम की बाद जांच जामा तलाशी उपरोक्त क्र.सं. 01 से 05 तक के 500 रूपये परिवादी श्री रावतराम के पहनी पेंट की साईड की बांयी जेब मे, क्र.सं. 06 से 10 तक के 500 रूपये परिवादी के पेंट की दाहिनी जेब में व क्र.सं. 11 से 15 तक के 500 रूपये परिवादी के पेंट की पीछे की जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री रावतराम को आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर तथा सम्भव हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल करने का ईशारा बताया गया। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये। दोनो गवाहान व परिवादी को फिनॉलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक क्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। परिवादी श्री रावतराम को रिश्वत स्वीकृति के ईशारें हेतु उसका मोबाईल दिया गया। परिवादी श्री रावतराम को रिश्वत लेनदेन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपर्दगी एवं दृष्टांत फिनॉलफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार की गई। वक्त 12.05 पीएम पर परिवादी श्री रावतराम को श्री कन्हैयालाल कानि. के साथ मोटरसाईकिल पर जिला न्यायालय परिसर के लिये रवाना कर इनके पीछे-पीछे मै इन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक मय श्री आनन्द मिश्रा पुनि., श्री श्रवण कुमार पुनि., श्रीमती पिंकी गंगवाल पुनि., श्री गिरधारीसिंह उनि., श्री अशोक कुमार व श्री जगदीश सउनि., श्री राजेन्द्र कुमार हैका., श्री गिरधारी कानि., श्री दिलीप कुमार कानि., श्री मनोहर कानि., श्री भगवानदास कानि., मय गवाह श्री सुमित व जावेद खांन के ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, पिन्टर इत्यादी हमराह लेकर निजी वाहनो से जिला न्यायालय परिसर के लिये रवाना होकर जिला न्यायालय बीकानेर के उत्तरी मुख्य द्वार के पास पहुँचा। परिवादी श्री रावतराम व कानि. श्री कन्हैयालाल जो मुख्य द्वार के पास मुकीम है। जिनको ईशारे से न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित एससी/एसटी न्यायालय के लिये आरोपी से सम्पर्क करने रवाना कर पीछे-पीछे मै पुलिस निरीक्षक हमरा जाब्ते के दो-दो, तीन-तीन के ग्रुप में उपरोक्त न्यायालय की तरफ रवाना हुए। न्यायालय परिसर में वकीलो एवं गवाहो आदि की काफी संख्या में आवाजाही एवं भीड़-भाड़ है। इसी भीड़ में समस्त ट्रैप दल अपनी-अपनी उपस्थिती छुपाये मुकीम रहे। परिवादी श्री रावतराम ने न्यायालय परिसर के उत्तरी द्वार से रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर वक्त 12.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को करने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनो गवाहान व जाब्ता सहित न्यायालय परिसर के उत्तर दिशा के मुख्य द्वार पर खड़े परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर लेकर बन्द किया। परिवादी श्री रावतराम ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही जगदीश जी पी.पी. है, जिन्होने मेरे से पूर्व की वार्ता अनुसार पांच सौ रूपये मांगे तो मैंने अपनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रखे पांच सौ रूपये निकाल कर जगदीश को दिये, जिन्होने मेरे से रूपये अपने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी शर्ट की जेब में रख लिये। परिवादी द्वारा उक्त तथ्य बताने के दौरान ही पास खड़े व्यक्ति ने अचानक भागने की कोशिश की, जिस पर उक्त व्यक्ति को तुरन्त ही रोक कर इसके दाहिने व बांये हाथ को क्रमश मन् पुलिस निरीक्षक व श्री कन्हैयालाल कानि. ने कलाईयों से पकड़ लिया। आरोपी ने पूछने पर अपना नाम जगदीश कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक एससी/एसटी न्यायालय, बीकानेर होना बताया। आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने का स्थान जिला न्यायालय परिसर तथा भीड़ भाड़ का स्थान होने से अग्रिम कार्यवाही करने में व्याधान अथवा लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना होने तथा ट्रेप कार्यवाही में लगने वाले समय से दीगर न्यायालयों की कार्यवाही बाधित ना हो ऐसी स्थिति में ट्रेप कार्यवाही पास ही स्थित पुलिस थाना सदर में किये जाने हेतु आरोपी जगदीश कुमार को दोनो हाथ पकड़े-पकड़े ही मन्

पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन में बैठाने लगे तो गाड़ी में बैठते समय आरोपी ने तुरन्त ही एक हाथ से अपनी शर्ट के जेब में रखी रिश्वत राशि के नोटों को निकाल कर मुंह में लेकर चबाने लगा। मन् पुलिस निरीक्षक व श्री कन्हैयालाल कानि. ने आरोपी का मुंह पकड़ कर अगूंली से नोट निकालने की कोशिश की परन्तु आरोपी नोट निगल गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक के दाहिने हाथ की तर्जनी को भी काट लिया तथा आरोपी ने कहा कि अब क्या करोगें, सबूत मैने नष्ट कर दिया तथा हो हल्ला करने लगा। पुलिस थाना सदर के एक कक्ष में पहुँचने पर आरोपी जगदीश कुमार ने बताया कि मैं रावतराम को जानता हूं। यह मेरा समाज का व्यक्ति है। यह मेरे पास आता-जाता रहता है। रावतराम से मेरा पुराना हिसाब था, जो आज इसने मुझे वापिस दिये है। कुछ देर सोच कर बताया कि मैंने रावतराम से कोई पैसे नहीं लिये है। इस पर हाजिर परिवादी रावतराम ने पूछने पर बताया कि "जगदीश जी सरासर झूठ बोल रहे है। मेरे द्वारा दर्ज करवाया गया मुकदमा जो कनुप्रतापसिंह के नाम से एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर में चल रहा है। इस मुकदमें में सही ढंग से पैरवी कर गवाहान के बयान करवाने के लिए पूर्व पी.पी. कुन्दन एवं पेशकार जाकिर द्वारा पन्द्रह सौ रूपये अपने खर्चे के मांग कर दो बार में एक हजार रूपये मुझ से पहले ही ले लिये थे। बाद में जगदीश जी नये पी.पी. आ गये, इन्होने दिनांक 03.06.2025 को मेरे मुकदमें में सही पैरवी कर गवाह के बयान करवाने के लिए एक हजार रूपये खर्चे के मांग कर उस दिन पांच सौ रूपये मेरे से ले लिये तथा आगामी पेशी 15.07.2025 को बाकी के पांच सौ रूपये खर्चे के साथ लाने के लिए कहा था। उक्त कोर्ट के पेशकार जाकिर व पूर्व पी.पी कुन्दन ने भी आज ही मेरे से पांच-पांच सौ रूपये खर्चे के मंगवाये थे। आज आपकी कार्यवाही के अनुसार मै उक्त तीनो को इनकी मांग अनुसार सौ-सौ के पन्द्रह नोट कुल 1500 रूपये सहित एससी/एसटी कोर्ट, बीकानेर पहुंचा। कोर्ट में पी.पी. जगदीश जी किसी गवाह के बयान करवा रहे थे। मैं पी.पी. साहब के पास गया तो इन्होने मुझे पुछा कि गवाह आया है क्या, मैने हां कही तो जगदीश जी ने गवाह चुतराराम को बुलाकर फाईल दिखाई तथा कुछ देर बाहर बैठो यह बयान करवाने के बाद इनके बयान करवा दूंगा। मैं व गवाह चुतराराम कोर्ट से बाहर आ गये। कुछ ही देर में जगदीश जी मेरे पास आये व कहा कि मैं गवाह को समझा दूंगा, बयान सही करवा दूंगा। यह बाते करते करते हम दोनों प्रथम मंजिल से नीचे मुख्य द्वार के पास आ गये। वहां पहुंचने पर जगदीश जी ने मुझे कहा कि आपको बताया हुआ खर्चे पानी लाये हो क्या, मैने कहा हां लाया हूं। जगदीश जी के मांगने पर मैंने अपनी पेंट की दाहिने जेब में रखे पांच सौ रूपये (100-100 के 05 नोट) निकाल कर जगदीश जी को दिये तो जगदीश ने मेरे से रूपये लेकर गिनकर अपनी शर्ट की जेंब में रख लिये। यह पांच सौ रूपये मैंने जगदीश जी पी.पी. को इनकी मांग अनुसार रिश्वत के दिये है। जगदीश से मेरा कोई पुराना हिसाब नहीं है। पूर्व पी.पी. कुन्दनमल के नहीं मिलने व पेशकार जाकिर द्वारा बाहर बैठने के कहने से मैं उन दोनों को रिश्वत राशि नहीं दे सका, जो मेरे पास जेब में है। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजेबल गिलासो में पानी भरकर दोनो में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला गुदला बहुत हल्का गुलाबी सा हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. के पहनी शर्ट बंरग सफेद की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग बहुत हल्का मटमैला सा हो गया। गिलास के मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. की उक्त शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील कर मार्क S अंकित कर शर्ट पैकेट को कब्जा में लिया गया। परिवादी श्री रावतराम द्वारा निर्देशानुसार अपनी पेंट की बांयी व पीछे की जेब से 100-100 रूपये के 10 नोट कुल 1000रूपये निकालकर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है। क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1. एक सौ रूपये का नोट 1 PD 983958 2. एक सौ रूपये का नोट 2 GS 217443 3. एक सौ रूपये का नोट 8 NA 225353 4. एक सौ रूपये का नोट 5 KP 219753 5. एक सौ रूपये का नोट 3 LM 889458 6. एक सौ रूपये का नोट 6 EN 531515 7. एक सौ रूपये का नोट 6 MM 445270 8. एक सौ रूपये का नोट 7 QK 334742 9. एक सौ रूपये का नोट 2 MF 977019 10. एक सौ रूपये का नोट 0 FD 779801 उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर उक्त नोटो को सील्ड कर जब्त किया गया। आरोपी जगदीश कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि पांच सौ रूपये (100-100 रूपये के 05 नोट) को चबाकर निगल गया है। रिश्वत राशि को आरोपी जगदीश कुमार के पेट से निकालकर बरामद करने के प्रयास हेतु पीबीएम अस्पताल बीकानेर जाकर गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी चिकित्सक को तथ्यो से अवगत कराया तो चिकित्सक ने आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. के पेट से एण्डोस्कॉपी द्वारा लिया गया पार्टिकल्स का नमूना लेकर छोटी कांच की शीशी में प्रिजर्व कर दिया तथा चिकित्सक की राय अनुसार आरोपी द्वारा रिश्वती नोट निगलने के बाद काफी समय हो जाने के कारण नोटों के टुकड़े पेट से आंतों में चले गये। क्योंकि पेट में एसीड बनने के कारण

जो भी खाया है, वह गल जाता है तथा आंतो में चला जाता है। चिकित्सक द्वारा दी गई पार्टिकल्स के नमूना की शीशी को कपड़े की एक थैली में रखकर थैली को सील्ड कर मार्क GB अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई आरोपी जगदीश कुमार लोक अभियोजक पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री जियाराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी खींचिया पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर को बाद आगाह तमाम वाक्यात जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पहुँच नक्शा मौका व हालात मौका बनाया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी की हाथ व शर्ट जेब धुलाई व पूछताछ की बनाई गई विडियो क्लिप की फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी अलग से तैयार की गयी। विडियोग्राफी के मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव में कॉपी करवाकर मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क M व पैन ड्राईव को सील्ड कर मार्क M-1 अंकित कर जब्त किया गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही कर मै पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाह, परिवादी, जाब्ता तथा गिरफ्तार आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. को साथ लेकर चौकी एसयू बीकानेर पहुँचा। आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. व परिवादी की रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता को कम्प्यूटर से सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवायी गई। मैमोरी कार्ड की वार्ता को दो पैन ड्राईव में कॉपी कर मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क B व एक पेन ड्राईव को कपड़े की थेली में सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर जब्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील अलग से तैयार की गई तथा पीतल की सील को नष्ट कर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील तैयार की गयी। ट्रेप कार्यवाही में जब्त समस्त वजह सबूत सील्ड हालत में श्री अशोक कुमार सउनि. प्रभारी मालखाना को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उपरोक्त समस्त ट्रेप कार्यवाही में समय-समय पर की गयी कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की समस्त कार्यवाही के तथ्यो से पाया गया कि परिवादी श्री रावतराम पुत्र श्री आदूराम मेघवाल निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा राज्य बनाम कनुप्रतापसिंह का एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की तरफ से ठोस कार्यवाही कर गवाहों के बयान करवाने के लिये श्री कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पी.पी. द्वारा परिवादी श्री रावतराम से अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दौराने सत्यापन दिनांक 03.03.2025 को पांच सौ रूपये प्राप्त किये तथा श्री जाकीर हुसैन पेशकार एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रावतराम के पक्ष में कार्यवाही करवाने के लिये अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दौराने सत्यापन दिनांक 03.03.2025 को पांच सौ रूपये प्राप्त किये गये तथा दोनो ने मांग के अनुसार शेष 500-500 रूपये आगामी तारीख पेशी पर लेकर आने की कही गई। तत्पश्चात कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पी.पी. के स्थान पर श्री जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर में नियुक्त हुआ। श्री जगदीश कुमार पी.पी. ने मुकदमा में अभियोजन पक्ष की तरफ से ठोस कार्यवाही कर गवाहो के बयान करवाने के लिये परिवादी श्री रावतराम से अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दौराने सत्यापन दिनांक 03.06.2025 को पांच सौ रूपये प्राप्त किये तथा शेष 500 रूपये दिनांक 15.07.2025 को परिवादी श्री रावतराम से जिला न्यायालय परिसर के द्वार के पास रिश्वत के प्राप्त किये गये जिस पर श्री जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर द्वारा अपनी जेब में रखी रिश्वत राशि पांच सौ रूपये के नोटो को वजह सबूत नष्ट करने की नियत से जेब से निकालकर चबाकर निगल गया। आरोपीगण श्री कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पूर्व पी.पी., श्री जाकीर हुसैन पेशकार एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रावतराम से उसके प्रकरण में ठोस व सारभूत कार्यवाही करने के लिये रिश्वत की मांग करना एवं श्री जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रावतराम से उसके प्रकरण में अभियोजन पक्ष की तरफ से कार्यवाही करने की ऐवज में दौराने सत्यापन पांच सौ रूपये रिश्वत के प्राप्त करने व पांच सौ रूपये दिनांक 15.07.2025 को प्राप्त किये गये। श्री कुन्दनमल उर्फ कुन्दन व्यास पूर्व पी.पी. व श्री जाकीर हुसैन पेशकार एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी एक्ट (यथा संशोधित 2018) में तथा आरोपी जगदीश कुमार पी.पी. एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी एक्ट (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 238 बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त तीनो आरोपीगणो के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओ में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कत्ता कर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जा रही है। भवदीय (इन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) बीकानेर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री जियाराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी खींचिया पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल विशिष्ट लोक अभियोजक एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर 2. श्री कुन्दन व्यास पुत्र श्री पुरषोत्तम व्यास जाति ब्रहाम्ण उम्र 51 साल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर पुलिस थाना नयाशहर हाल पूर्व विशिष्ट लोक अभियोजक एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर एवं 3. श्री जाकीर हुसैन समेजा पुत्र श्री फैज

मोहम्मद समेजा जाति मुसलमान उम्र 56 साल निवासी गली नं. 11 धोबी तलाई पुलिस थाना कोटगेट हाल पेशकार/रीडर ग्रेड-प्रथम एससी/एसटी कोर्ट बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी विनोद कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 312 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1053-57 दिनांक 17-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर 4- शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य(राजकीय वादकरण) जयपुर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एसयू) बीकानेर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VINOD KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/07/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/08/1980				
2	Male	01/07/1974				
3	Male	14/08/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)